

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्त्दाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाबता दिवानी)  
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)  
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

ब इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

श्रीमती कलावती पत्नी श्री मनोहरलाल जाति ब्रह्ममण आयु 42 वर्ष निवासिनी वार्ड संख्या-10, बिसाउ जिला झुन्झुनूं (राज.)

बनाम

1. किशोरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बालरासर तंवरान तह. व जिला चूरु
2. श्रीमति मंगेजकंवर पत्नी किलानसिंह जाति राजपूत नि.बालरासर तंवरान त. व जि. चूरु
3. सवाईसिंह } पुत्रगण श्री किलानसिंह जाति राजपूत निवासीगण बालरासर
4. राजेन्द्रसिंह } बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरु
5. प्रताप सिंह पुत्र श्री सादुल सिंह
6. मनजीत सिंह पुत्र श्री सादुल सिंह
7. श्रीमती संतोष कंवर पुत्री श्री सादुल सिंह
8. श्रीमती सुमन कंवर पुत्री श्री सादुल सिंह
9. प्रेम सिंह पुत्र श्री बैरीशाल सिंह
10. भान सिंह पुत्र श्री बैरीशाल सिंह
11. मोहन सिंह पुत्र श्री बैरीशाल सिंह
12. रामसिंह पुत्र बैरीशाल सिंह
13. रणजीत सिंह पुत्र श्री देवी सिंह
14. सज्जन सिंह पुत्र श्री देवी सिंह
15. श्रीमती विमला कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह
16. आई डी बी. आई बैंक लिमिटेड शाखा चूरु
17. जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा चूरु
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खांसोली
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरु

जाति राजपूत निवासीगण बालरासर

तंवरान तहसील व जिला चूरु

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 10 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी रामकिशन शर्मा एडवोकेट वादिनी, मिनजानिब मुदईब श्री विनोद दनेवा एडवोकेट प्रतिवादी सं. 17 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 37 तादादी 6.2094 हैक्टेयर, ख.नं. 38 तादादी 5.5138 हैक्टेयर, ख.नं. 58 तादादी 2.6558 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 14.3790 हैक्टेयर रोही ग्राम बालरासर तंवरान में से वादिनी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म भूमि
1.	कलावती पत्नी मनोहरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बिसाऊ तह. झुन्झुनू खातेदार राहिन आई.डी.बी.आई. बैंक लि. शाखा चूरु	37 मि. 38 मि.	1.0243 1.7831	बारानी बारानी
		किता-2	2.8074	बारानी
2.	कमलाकंवर पुत्री किलानसिंह राहिन 29 हिस्सा चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा चूरु, किशोरसिंह पुत्र देवीसिंह राहिन 95 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खासोली, प्रतापसिंह पुत्र सादुलसिंह 35 हिस्सा, प्रेमसिंह पुत्र बैरीसालसिंह राहिन 57 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खासोली, विमलाकंवर पत्नी उम्मेदसिंह राहिन 57 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खासोली, भानसिंह पुत्र बैरीसालसिंह राहिन 57 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खासोली, मंगेजकंवर पत्नी किलानसिंह राहिन 29 हिस्सा चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा चूरु, मन्जू पुत्री किलानसिंह राहिन 29 हिस्सा चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा चूरु, मनजीतसिंह पुत्र सादुलसिंह 35 हिस्सा, मोहनसिंह पुत्र बैरीसालसिंह राहिन 57 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खासोली, रणजीतसिंह पुत्र देवीसिंह राहिन 95 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खासोली, राजेन्द्रसिंह पुत्र किलानसिंह राहिन 29 हिस्सा चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा चूरु, रामसिंह पुत्र बैरीसालसिंह राहिन 57 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खासोली, विमलाकंवर पुत्री किलानसिंह राहिन 29 हिस्सा चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा चूरु, सज्जनसिंह पुत्र देवीसिंह राहिन 95 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खासोली, सन्तोषकंवर पुत्री सादुलसिंह 36 हिस्सा, सुमनकंवर पुत्री सादुलसिंह 36 हिस्सा, सवाईसिंह पुत्र किलानसिंह राहिन 29 हिस्सा चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा चूरु, सुशीलाकंवर पुत्री किलानसिंह राहिन 29 हिस्सा चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा चूरु जाति राजपूत निवासी बालरासर तंवरान खातेदार	37 मि. 38 मि. 58	5.1851 3.7307 2.6558	बारानी बारानी बारानी
		किता-3	11.5716	बारानी



उपखण्ड अधिकारी

चूरु

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस भविष्य में डिक्री का भाग रहेगा। जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरु डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें एवं नक्शे में तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01 माह अप्रैल सन् 2021 को जारी की गई।



(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी, चूरु

उपखण्ड अधिकारी  
चूरु